सामुदायिक पुलिसिंग
नीति पत्रक
मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना राज्य पुर्नगठन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वर्ष 1956 में हुई। इस पुर्नगठित प्रदेश में अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ चम्बल के बीहड़ों के क्षेत्र भी बड़ी मात्रा में मध्यप्रदेश का हिस्सा बने। चम्बल के इन बीहड़ों के साथ–साथ ही इस नये क्षेत्र को देश में (कु)ख्याति देने वाली डकैती समस्या भी प्रायः विरासत के रूप में मिली। तत्कालीन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रयासों में से एक प्रयास ग्राम रक्षा समिति की स्थापना भी थी। यह ग्राम रक्षा समितियां मूलतः डकैती प्रभावित जिलों में स्थापित की गई। यह स्थापना आवश्यकता के अनुरूप ग्वालियर, चम्बल तथा सागर सम्भाग के जिलों में प्रारम्भ की गई। मध्यप्रदेश में सम्भवतः यह पहला ऐसा अभिनव प्रयास था जिसमें पुलिस व्दारा नागरिकों के साथ जुड़कर अपने कार्यों को संचालित करने का प्रयास किया गया। यह प्रयास आज भी एक सफल स्वरूप लिए हुए हमारे बीच विद्यमान है।

प्रदेश में अंग्रेजी साम्राज्य के समय से ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार व्यवस्था लागू की गई थी। यह व्यवस्था भी पुलिस और जनता के संबंधों को सकारात्मक स्वरूप देते रहने में अत्यन्त उपयोगी रही है। गत दो दशकों से यह व्यवस्था पुलिस के अधीन नहीं रखते हुए राजस्व विभाग के अधीन चली गई है जिससे पुलिस के लिए इसकी उपयोगिता शनैःशनैः क्षीण होती जा रही है।

समय के साथ–साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकारियों व्दारा अपने–अपने विवेक से विभिन्न पहलें प्रारम्भ की गई, जो स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा परिदृश्य के अनुरूप थी। प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री श्री दिग्विजय सिंह के निर्देश एवं मार्गदर्शन में स्थापित की गई पारदर्शिता, जवाब देही तथा खुलेपन की नीति के अनुरूप वर्ष 1995 में प्रदेश में पुलिस सामुदायिक संबंधों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की गई। इस नीति के अनुरूप विभिन्न जिलों एवं वाहिनियों में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पहलें प्रारम्भ की गई। इन पहलो में समाज के हर महत्वपूर्ण अंग जैसे महिला, बच्चे, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों, दुर्घटना में घायलों की मदद, दृष्टिबाधितों की सहायता, नशामुक्ति के प्रयास, सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण की अवधारणा को मूर्तरूप देने जैसी सभी कार्यवाहियां की गईं ।

उल्लेखित अभिनव पहलों को प्रारम्भ में प्रायोगिक योजनाओं ;च्पसवज च्तवरमबजेद्ध के रूप में चलाया गया। इन पायलेट प्रोजेक्ट्स के अध्ययन उपरान्त तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समाज के हर वर्ग को पुलिस के साथ जोड़े, निम्नलिखित 3 पहलों को राज्य स्तरीय पहलों के रूप में स्थापित किया गया :–

1. पारिवारिक परामर्श केन्द्र
2. नगर एवं ग्राम रक्षा समिति
3. बाल मित्र पुलिस

उपरोक्त तीन राज्यस्तरीय पहलो की स्थापना के पश्चात् शनैः शनैः हम इस महत्वपूर्ण कार्य को अधिक सक्षम बनाने तथा उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशासनिक व विधिसम्मत् प्रयास करते रहे हैं । इन प्रयासों का परिणाम ही है कि आज मध्यप्रदेश में हम निम्नलिखित कार्यवाहियां पूर्ण कर चुके हैं :–

1– ग्राम एवं नगर सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1999 पारित कर क्रियान्वित किया गया है ।

2– पुलिस मुख्यालय में एक पृथक शाखा की स्थापना की गई है ।

3– इस महत्वपूर्ण कार्य को संचालित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को **''नोडल अधिकारी''** तथा उप पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को **''अतिरिक्त नोडल अधिकारी''** नियुक्त किया गया है ।

4– प्रशिक्षण के उद्देश्य से दो केन्द्रों की स्थापना की गई है। इनमें इन्दौर के एपीटीसी स्थित उत्कृष्टता केन्द्र तथा पुलिस प्रशिक्षण शाला उमरिया शामिल हैं। इनमें पुलिसकर्मियों तथा इन पहलो से जुड़े नागरिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

उपरोक्त कार्यवाहियों के उपरान्त सामुदायिक पुलिसिंग के संबंध में इस राज्य स्तरीय नीति को स्थापित करने की पहल हम कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश पुलिस के गत 7 वर्षों के अभिनव प्रयासों के कारण ही इग्लैण्ड के डी0एफ0आई0डी0 ;क्थ्प्क्द्ध तथा केन्द्र सरकार के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ;ठच्त्–क्द्ध ने मध्यप्रदेश में पुलिस को आधुनिक, संवेदनशील एवं जनोन्मुखी बनाने हेतु चयनित किया है । जहां डी0एफ0आई0डी0 द्वारा मध्यप्रदेश को कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित किये गये हैं, वहीं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को एक राष्ट्रीय कोर–ग्रुप के रूप में शामिल कर राष्ट्रीय नीति के निर्धारण का दायित्व सौंपा गया है ।

मध्यप्रदेश में इस नीति पत्र को श्री स्वराजपुरी ''नोडल अधिकारी'' तथा श्री राजेन्द्र मिश्रा ''अतिरिक्त नोडल अधिकारी'' के व्दारा तैयार किया गया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

पुलिस महानिदेशक

विषय सूची

परिचय

भाग–1

मध्यप्रदेश – वर्तमान स्थिति

भाग–2

सामुदायिक पुलिसिंग हेतु
मध्यप्रदेश शासन की नीतिगत योजना

अध्याय–1	आवश्यकतायें
अध्याय–2	परिमापन
अध्याय–3	पुनर्गठन
अध्याय–4	मानव संसाधन विकास
अध्याय–5	प्रचार प्रसार
अध्याय–6	वैधानिक परिदृश्य
अध्याय–7	प्रशासनिक व्यवस्था
अध्याय–8	वित्त
अध्याय–9	स्थायित्व
अध्याय–10	मूल्यांकन
अध्याय–11	समीक्षा, अनुसंधान एवं विकास
अध्याय–12	भावी दिशा

परिचय

भारत वर्ष में मध्यप्रदेश शान्ति के टापू के रूप में जाना जाता है। यह शान्ति यहां पदस्थ राजनैतिक नेतृत्व के स्पष्ट मार्गदर्शन तथा यहां पदस्थ अधिकारियों के अथक परिश्रम एवं बलिदान के कारण ही सम्भव हो सका है।

मध्यप्रदेश पुलिस भी एतिहासिक त्रुटियों के कुप्रभाव से अछूती नहीं रही है। अंग्रेजों व्दारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था की देन, जो एक आरक्षक को रक्षक कम लेकिन शासन का नकारात्मक प्रतिनिधि अधिक प्रदर्शित करता है, इसका ज्वलन्त उदाहरण है। किसी भी प्रगतिशील देश में जहां प्रजातान्त्रिक मान्यताओं को प्राथमिकता दी गई हो, इस प्रकार की पुलिस व्यवस्था सम्भवतः स्थापित नहीं है। हमारे देश में भी पुलिस सुधार हेतु कई आयोग जैसे– राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राज्य पुलिस आयोग तथा विभिन्न समितियां नियुक्त की गई तथा उनके द्वारा अपनी अनुशंसायें दी गई। इन अनुशंसाओं का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं हो सका। ठोस पहले नहीं चलाये जाने से पुलिस तथा जनता के संबंधों में भी अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री दिग्विजय सिंह के सोच एवं दूरदृष्टि से प्रारम्भ की गई एवं स्थापित नीतियों के अनुरूप पुलिस कार्य में पारदर्शिता तथा संवेदनशीलता आदि स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 से पुलिस सामुदायिक संबंधों में सुधार हेतु विभिन्न अभिनव पहलें प्रारम्भ की गई है। इस महत्वपूर्ण कार्य को संचालित करने के उद्देश्य से यह नीति पत्रक तैयार किया गया है।

हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस अन्य विभागों से कुछ अर्थों में भिन्न अवश्य है लेकिन अपने दायित्वों के निर्वहन में वह समाज में प्रशासन का सबसे प्रदर्शित एवं उपलब्ध अंग है। हम जब अपने नागरिकों की प्रजातान्त्रिक अपेक्षाओं को समग्र रूप से देखते हैं तो हम पाते हैं कि नागरिकों का पर्याप्त योगदान हमें प्राप्त नहीं है। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में नागरिक ही हर व्यवस्था का आधार होना चाहिए। यह मूलमन्त्र ही मध्यप्रदेश में पुलिस व्दारा नागरिकों के साथ जुड़कर पुलिस सामुदायिक संबंधों जैसे महत्वपूर्ण विषय को ठोस आधार देने की प्रेरणा है। इस नीति हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे निम्नानुसार हैः–

1. नागरिकों को पुलिस के कार्य में सहभागी बनाना।
2. पुलिस को समाज में परिवर्तन के माध्यम से रूप में स्थापित करना।
3. अत्याचारों को रोक कर परिवारों को विघटित होने से रोकना। इस माध्यम से इन परिवारों के बच्चों को सम्भावित अपराधिक प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करना।
4. पुलिस की छबि में सुधार हेतु नागरिकों में सकारात्मक सोच को जागृत करना।
5. अपराधों को नियन्त्रित कर समाज को सुरक्षित बनाना।
6. पुलिस की कार्यप्रणाली से बच्चों को अवगत कराते हुए उनके निर्मल मन से पुलिस के भय को हटाना।
7. समाज में दृष्टिबाधितों तथा अपंग बच्चों को मदद प्रदान कर अच्छे नागरिक बनाने में सहयोग प्रदान करना।
8. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एक समन्वित प्रयास कर जीवन रक्षा हेतु चिकित्सा प्रदान करना।
9. नशा मुक्त समाज की खोज
10. समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करना।
11. बीट पुलिस को सुदृढ़ बनाकर जनता की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास।
12. अपराध पीड़ित नागरिकों को राहत प्रदान करने की व्यवस्था करना।

—

भाग–1

सामुदायिक पुलिसिंग वर्तमान स्थिति

प्रदेश में वर्तमान स्थिति

मध्यप्रदेश पुलिस में पुलिस सामुदायिक संबंधों हेतु विभिन्न पहलें स्थापित की गई हैं। इन पहलों में निम्नलिखित तीन को प्रदेश स्तर पर स्थापित कर संचालित किया जा रहा है :–

1. पारिवारिक परामर्श केन्द्र
2. नगर एवं ग्राम रक्षा समिति
3. **बाल मित्र पुलिस**
   - अ) बाल मित्र थाना
   - ब) दृष्टिबाधितों के सहयोग में पुलिस
     - क) रायटर बैंक
     - ख) टाकिंग बुक
4. सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण केन्द्र

उपरोक्त तीनों पहलों के अतिरिक्त निम्नलिखित पहलें प्रायोगिक योजनाओं ;च्पसवज च्तवरमबजेद्ध के रूप में प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही हैं :–

1. चलित पुलिस व्यवस्था
2. जीवन रक्षक एम्बूलेन्स सेवा

3. नशा मुक्ति शिविर
4. चाईल्ड लाईन
5. अपराध पीड़ित नागरिकों को राहत

उपरोक्त प्रायोगिक योजनाओं ;च्पसवज च्तवरमबजेद्ध का समय समय पर आंकलन कर उन्हें राज्य स्तरीय पहलों के रूप में स्थापित करने हेतु अध्ययन किया जाता है।

सामुदायिक पुलिसिंग एक नजर

कार्य लक्ष्य

- समाज में अपराध कम कर अधिक सुरक्षित समाज का निर्माण
- सामुदायिक पुलिसिंग में जन सामान्य कीभागीदारी
- सामुदायिक पुलिसिंग की प्राथमिकताओं को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित करना
- कानून के पालन में पारदर्शिता लाना
- मानवीय मूल्यों एवं गरिमा का आदर
- पुलिस को समाज में सेवा के रूप में विकसित करना
- पुलिस एवं जनता का पारस्परिक सशक्तीकरण

मध्यप्रदेश में यद्यपि सामुदायिक पुलिसिंग वर्ष 1956 से डकैती प्रभावित क्षेत्रों रक्षा समितियों के रूप में तथा शेष मध्यप्रदेश में कुछ अधिकारियों व्दारा व्यक्तिगत प्रयासों से चलाई गई सीमित योजनाओं के रूप में चल रही है इसे प्रभावी तथा व्यवसायिक स्वरूप वर्ष 1995 में दिया गया है। प्रदेश में चल रही योजनाओं का आंकलन, प्रभावशीलता तथा उपलब्ध दक्षता का आंकलन हमने किया है। इस आंकलन के पश्चात कुछ पहलों को प्रदेशव्यापी तथा शेष को प्रायोगिक योजनाओं ;च्पसवज च्तवरमबजेद्ध के रूप में संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं को प्रशासनिक, वैधानिक, व्यवसायिक तथा वास्तविक रूपरेखा देने के उद्देश्य से प्रदेश में निम्नलिखित कार्यवाही की जा चुकी है:–

1. प्रदेश तथा जिला स्तर पर पंजीकृत संस्थाओं की स्थापना –1997
2. पुलिस मुख्यालय में नोडल अधिकारी के पद का निर्माण– 1999
3. ग्राम रक्षा एवं नगर सुरक्षा अधिनियम का विधेयक पारित–1999
4. अतिरिक्त नोडल अधिकारी की नियुक्ति–2002
5. पृथक शाखा का निर्माण–2002
6. प्रशिक्षण हेतु एक उत्कृष्टता केन्द्र तथा एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना– 2002
7. राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में सक्रिय योगदान– वर्ष 2002

प्रदेश में वर्तमान में निम्नलिखित 3 योजनाओं को राज्यव्यापी योजना के रूप में संचालित किया जा रहा हैः–

1. **पारिवरिक परामर्श केन्द्र (1995)**

परिवारों को विघटन से बचाने के उद्देश्य से पारिवारिक परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों को समाज के महत्वपूर्ण अंगों जैसे– समाज सेविकाओं, चिकित्सकों, मनोचिकित्सकों एवं अधिवक्ताओं के निःशुल्क सहयोग से संचालित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में 81 केन्द्र 622 परामर्शदात्रियों के सहयोग से संचालित है।

2.(अ) **नगर सुरक्षा समिति ♣**

पुलिस कार्यों में कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से नगर सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

(ब) **ग्राम रक्षा समिति**

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस कार्यों में सहयोग प्रदान करने, कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराधों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया गया है।

3. **बाल मित्र पुलिस**

बच्चों के कोमल मन से पुलिस का भय मिटाकर, पुलिस को बच्चों का सहयोगी बनाकर पुलिस की कार्यप्रणाली से उन्हें अवगत कराने के उद्देश्य से बाल मित्र पुलिस की स्थापना की गई है।

राज्य स्तर पर स्थापित उपरोक्त पहलों के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित पहलें योजनाओं के रूप में संचालित की जा रही हैः–

1. **बीट पुलिसिंग की युनिट प्रणाली ♣**

बीट पुलिसिंग मध्यप्रदेश में एक पुरानी कार्यप्रणाली है। इस पुरानी कार्यप्रणाली को वर्ष 1996 में देवास जिले में युनिट सिस्टम के नाम से विस्तृत रूप दिया जाकर आरक्षक स्तर के अधिकारियों को लिया जाकर स्थापित किया गया है। यह व्यवस्था अन्य जिलों में सब बीट के नाम से भी प्रचलित है।

प्रदेश में प्रारम्भिक स्तर पर ही जन समुदाय से जुड़कर एवं उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से रूबरू होते हुए समस्याओं का समाधान करना मुख्य लक्ष्य है।

(रायसेन के बारे में जानकारी लेना है)

2. **साम्प्रदायिक सद्भाव**

जिलों में विभिन्न वर्गों में आपसी सद्भाव बनाये रखने हेतु शान्ति समिति का गठन किया गया है। यह गठन थाना, सम्भागीय एवं जिला स्तर पर किया गया है। प्रबुध्द नागरिकों को विश्वास में लेकर तथा उनके माध्यम से शान्ति स्थापित की जाती है।

3. **चलित थाने**

इस पहल का उद्देश्य इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण जनता की समस्याओं को पुलिस के साथ–साथ अन्य विभागों के सहयोग से मौके पर ही सुलझाना है। इस पहल के अन्तर्गत थाने के अधिकारी नियत तिथि व समय पर ग्राम में उपस्थित रहते हैं। पुलिस के अलावा राजस्व

विभाग के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया जाता है। चलित थानों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है।

4. **दृष्टिबाधितों के विकास में पुलिस का योगदान**

इस पहल का उद्देश्य दृष्टिबाधितों के सर्वांगीण विकास में पुलिस का योगदान प्रदान करना है। इस पहल के अन्तर्गत पुलिस व्दारा पुराने एवं उपयोग में लाये जा चुके कैसेट्स पर बच्चों के पाठ्यक्रम को रिकार्ड कराकर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल का नाम ''टाकिंग बुक'' दिया गया है। इस योजना की सफलता के बाद फरवरी 1998 में ''राईटर्स बैंक'' की स्थापना की गई। इस योजना में नियमानुकूल रूप से दृष्टिबाधित बच्चों को बोर्ड तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा में लेखक प्रदाय किए जाते हैं।

5. **नशामुक्ति शिविर**

नशे के आदी व्यक्तियों को नशे से मुक्त कराने के उद्देश्य से इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में नशा पीड़ित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श तथा योग, आदि के माध्यम से नशे से मुक्त कराने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य हेतु चिकित्सकों, स्वयं सेवी संस्थाओं, आदि का सहयोग लिया जाता है।

6. **घायलों को त्वरित सहायता**

वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित सहायता प्रदान करने एवं उनकी जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से ''जीवन रक्षक एम्बूलेन्स सेवा'' प्रारम्भ की गई है।

7.. **अपराध पीड़ितों की मदद**

अपराध घटित होने के पश्चात आरोपी को दण्ड दिलाने हेतु शासन की ओर से कई प्रक्रियायें उपलब्ध है परन्तु जिसके साथ अपराध घटित होता है वह न केवल शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक समस्याओं से गुजरता है, इस ओर समाज का ध्यान नहीं जाता है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संकल्प नामक सस्था का गठन सामुदायिक पुलिसिंग के अधीन किया गया है।

8. **सामाजिक न्याय हेतु सशक्तिकरण केन्द्रों की स्थापना**

समाज के पिछड़े, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य दलित वर्गों के लोगों को सामाजिक न्याय, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने, आदि के उद्देश्य से इन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

9. **ग्राम चौपाल**

छोटी–छोटी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही निपटाने हेतु सागर जिले में ग्राम चौपालों की व्यवस्था की गई है। ग्राम चौपालों में जन सहयोग व्दारा स्थानीय स्तर पर ही बैठकर समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसमें पुलिस का सहयोगी के रूप में योगदान रहता है।

10. **संकट/आपातकालीन सहायता**

अग्नि, बाढ़, महामारी, भूकम्प, आदि अवसरों पर होने वाली जन, धन की रक्षा करने हेतु संकटकालीन एवं आपातकालीन सहायता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जन सहयोग के माध्यम से आपदाओं में जान–माल की रक्षा की जाती है।

भाग–2
नीतिगत योजना

अध्याय–एक

सिध्दान्त

सामुदायिक पुलिसिंग का मूल सिध्दान्त पुलिसकर्मियों और नागरिकों के मध्य स्थित दरार को यहां तक पाटना है कि पुलिस एक सेवा के रूप में विकसित होकर समाज में अपना स्थान बना सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि हर पुलिसकर्मी अपने कार्य क्षेत्र के समुदाय के सभी लोगों को जान लें और उस क्षेत्र के समुदाय के लोग भी उसे पहचाने। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ न रहे। इससे हमें सामुदायिक पुलिसिंग की प्रथम कुंजी मिल जावेगी। इसलिये सामुदायिक पुलिसिंग, भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय सघनता की दृष्टि से एक ऐसा पायदान उपलब्ध होगा जिससे समुचित समय में सभी एक दूसरे को जान लें। ऐसा संज्ञान संबंधित क्षेत्र में होने वाले अपराध और अव्यवस्था को रोकने में सक्रिय सहयोग दे सकता है।

सक्रिय कार्यवाही सामुदायिक पुलिसिंग की दूसरी विशिष्ट कुंजी है। सक्रिय कार्यवाही हेतु उठाये गये कदमों से स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत अपराधिक रोकथाम में जनसहयोग और भागीदारी में वृद्धि होकर सामुदायिक पुलिस अधिकारी को जनस्वीकृति और सहयोग प्राप्त होगा। एक बार ऐसी उपलब्धि हो जाने पर समुदाय स्वेच्छा से पुलिस संबंधी कार्यो की महत्ता को स्वीकार लेगा । ऐसा संयोजन होने से समुदाय में सन्निकटता बढ़ेगी और नागरिकों में अपने विवादों का निराकरण पुलिस के सहयोग से सुलझाने की योग्यता बढ़ायेगी।

सामुदायिक पुलिसिंग परियोजना की सफलता, इसके प्रायोजकों द्वारा इसे योग्यतापूर्वक लाभान्वितों तक पहुंचाने की क्षमता पर निर्भर है और इसके लिए आवश्यक है कि लाभान्वितों की भली–भॉति पहचान की जावे। केवल समुदाय ही इस परियोजना से लाभान्वित होता है, यह मान लेना भूल होगी । इस परियोजना से बीट स्तर पर तैनात पुलिस अधिकारी को अन्य की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। इस योजना को उन अधिकारियों तक पहुंचाना आवश्यक है। यह एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया होगी, क्योंकि समुदाय की जिम्मेदारियों में बदलाव, एवं पुलिसकर्मियों के पूर्व निर्धारित रूढ़ीवादी सोच को परिवर्तित करने में एक निश्चित प्रतिरोध प्रस्तुत होता है। वे इस योजना को तभी अपनायेंगे जब इस योजना के अंतर्गत कार्य करने में उन्हें वास्तविक लाभ प्राप्त हो एवं उन्हें योजना में पारदर्शिता के महत्व के संबंध में ज्ञान दिया जावे।

सामुदायिक पुलिसिंग के सिद्धान्त

1. दर्शन एवं संगठनात्मक रणनीति
2. सामुदायिक अधिकार हेतु वचनबद्धता
3. विकेन्द्रित एवं व्यक्तित्वपूर्ण पुलिसिंग
4. त्वरित एवं दीर्घ कालीन क्रियाशील समस्या निवारण
5. नीतिपूरकता, वैधानिकता, उत्तरदायित्वता एवं आस्था
6. पुलिस दायित्वों का विस्तार
7. विशिष्ट कमियों वाले नागरिकों को सहयोग
8. समूल सृजनात्मकता एवं समर्थन
9. आन्तरिक परिवर्तन
10. भावी संरचना

अध्याय–2

परिमापन
सामुदायिक पुलिसिंग के संघटक

1. **नागरिक निवेश**

सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस और समुदाय के मध्य संबंधों को पुनः परिभाषित करती है। एक स्वतंत्र एवं गणतान्त्रिक समाज में नागरिकों को यह निश्चय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनका प्रशासन किस रूप में संचालित हो। पुलिस को जिम्मेदार होने के साथ–साथ जबावदेह भी होना चाहिए। जन अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिस प्राथमिकताओं की संरचना को परिवर्तित करना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह स्थिति इस धारणा के साथ स्थापित की जाती है कि मात्र प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ ही नहीं जन सामान्य के साथ भी पुलिस सम्पर्क के माध्यम स्थापित करे।

2. **पुलिस कार्यपध्दति का स्वरूप**

पुलिस की समग्र कार्यप्रणाली उसे वृहद रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करने वाली होनी चाहिए न कि मात्र अपराध अथवा कानून व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के निर्वहन तक सीमित रखने वाली। पुलिस के दायित्वों में समुदाय की सुरक्षा में वृद्धि करने, आपसी विवाद सुलझाने, पीड़ितों की सहायता करने, अपराध के भय को कम करने, सामुदायिक सद्भावना स्थापित करने आदि तक सम्मिलित करना होगा। पुलिस के कार्य को केवल अपराधियों को पकड़ने एवं कानून–व्यवस्था लागू करने जैसे क्षुद्र दृष्टिकोण से नहीं आंका जाना चाहिए। यातायात सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता, नशाखोरी, बालकों का स्कूल से अनुपस्थित रहना, घरेलू अत्याचार, अपराध पीड़ितों का पुनर्व्यवस्थापन आदि वृहद् सेवाओं में उसकी मध्यस्थता स्वीकारी जानी चाहिए।

3. **सेवा भाव**

सामुदायिक पुलिसिंग नागरिकों के सन्तोष के साथ सेवा में गुणात्मक सुधार को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती हैं। इस प्रकार नागरिकों को मनुष्यों के रूप में महत्व देते हुए अपने कार्यो का निर्वहन करना सुनिश्चित कराती है।

4. विकेन्द्रीकरण

संगठन का दर्शन अपने कर्मियों को निर्णय लेने, सृजनात्मकता, जोखिम उठाने तथा अभिनव कार्य करने हेतु प्रेरित करने वाला होना चाहिए। यह कर्मियों को अधिकृत कर समर्थन देता है ताकि वह निर्णय कर सके। इस प्रकार उत्साहजन तथा सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर निरर्थक कागजी कार्यवाही को रोका जाना ही लक्ष्य है।

5. समस्याओं का निराकरण

दूरदृष्टि के साथ समाज की उन परिस्थितियों को सम्बोधित करना जो सामुदायिक समस्याओं को जन्म देती हो। इस प्रकार विशिष्ट समाज हेतु अपराध नियन्त्रण की रणनीति उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का उद्देश्य होता है।

6. **क्षेत्र केन्द्रीत व्यवस्था**

एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समाज तथा पुलिस कर्मियों के मध्य आपसी पहचान, दायित्वों का निर्वहन तथा उत्तरदायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य के साथ–2 क्षेत्र को अधिक महत्व देते हुए अधिकारियों के सेवाकाल को लम्बा

रखा जाना चाहिए, इस प्रकार स्थापित स्थाईत्व से समाज तथा पुलिस कर्मियों में अधिक आपसी सामान्जस्य होगा।

7. समुदाय की सहभागिता

सामुदायिक पुलिसिंग में समाज की सहभागिता स्वमेव निहित है। इस सहभागिता का स्वरूप विशिष्ट कार्यक्रमों में अपना समय व सहयोग देने के साथ–साथ अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने की क्षमता का विकास करना भी है। इस प्रकार पुलिस तथा समाज के मध्य नई कड़ियों को स्थापित कर आपसी भागीदारी के माध्यम से क्षेत्र को सुरक्षित तथा आकर्षित स्थान बनाया जाता है ताकि वहां पर जीवन तथा जीवनयापन करना सुगम हो। यहां यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना होगा कि जन सामान्य को प्रभावशाली व्यक्तियों व्दारा हतोत्साहित नहीं किया जा सके। आम जनता तथा पुलिस के मध्य कहां तक और कितना सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, इसका निर्धारण करना।

8. कानूनी प्रावधान

मध्यप्रदेश में ग्राम एवं रक्षा समिति के लिए बना हुआ है। यह आवश्यक है कि समस्त सामुदायिक पुलिसिंग को एक सूत्र में बांधते हुए एक कानून की परिकल्पना की जाए।

9. प्रशासनिक व्यवस्था

सामुदायिक पुलिसिंग के प्रशासनिक ढांचे में निम्नलिखित पर विचार किया जाना आवश्यक होगाः–

1. पृथक शाखा की स्थापना
2. प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारियों की पदस्थापना
3. पंजीकृत संस्थाओं अथवा संगठनों के माध्यम से शासकीय नियमों का पालन
4. बजट/अनुदान तथा सहायता राशि प्राप्त करना

10 कार्य का मूल्यांकन

किसी भी कार्य का सही रूप से मूल्यांकन कराने हेतु स्वतन्त्र एजेन्सी की आवश्यकता है। सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य समाज के हित में एवं उनकी समस्याओं तक पहुंचना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि कार्य का मूल्यांकन शैक्षणिक संस्थायें, विश्वविद्यालय अथवा व्यवसायिक संस्था, जो तकनीकी दक्षता रखते हों, से करवाया जाए।

11. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन के विकास हेतु चौमुखी योजना बनाये जाने की आवश्यकता है जिसमें न केवल पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाए बल्कि सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़ी अशासकीय संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को प्रशिक्षित किया जाए।

12. अनुसंधान एवं विकास

इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु शोध की आवश्यकता है जिसके लिए अनुसंधान सेल खोले जाने होंगे।

13. पुलिस को बल से सेवा के रूप में स्थापित करना

वर्तमान परिवेश में पुलिस की छबि एक नकारात्मक बल के रूप में देखी जाती है। आम नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति भय बना रहता है। यह आवश्यक है कि इस भय को हटाकर पुलिस को एक सेवा के रूप में समाज में स्थापित किया जाए।

14. अन्य सामाजिक समस्याओं का संकल्प

विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को निपटने हेतु कारगर योजना बनाया जाना।

15. जनभागीदारी

पुलिस एक व्यवसायिक संस्था है। स्वाभाविकतः इसके कार्य/दायित्व व्यवसायिक स्तर के हो। इसलिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना जहां अवश्यसम्भावी है वहीं इस माध्यम से पुलिस को समाज के प्रति अधिक व्यवसायिक जनोन्मुखी एवं संवेदनशील बनाया जावे। इस कार्य हेतु यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि किस स्तर पर तथा किस प्रकार की जनभागीदारी की आवश्यकता है।

16. अवधि

इस कार्य को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि इस कार्य में लगे अधिकारी एक निश्चित समयावधि तक अपना योगदान दे सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह प्रस्तावित है कि किसी भी अधिकारी को कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक इस कार्य में पदस्थ रहना आवश्यक है।

17. आवश्यक सेवायें और प्राथमिक सुविधायें

यह आवश्यक है कि अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ पुलिस का समन्वय बढ़ाया जाए। पुलिस अन्य विभागों के साथ अपना समन्वय किस तरह से स्थापित करे, इस संबंध में नीति निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

विश्लेषण एवं आवश्यकता

1. सांख्यिकीय विश्लेषण

2. भौगोलिक सूचना तंत्र (जीआईएस)

अ– पर्यावलोकन

ब– विश्लेषण

स– प्रतिक्रिया

द– आंकलन

कार्यक्षेत्र

1. सुरक्षा व्यवस्था एवं सामुदायिक संबंध
2. सूचना संकलन
3. अपराध की रोकथाम
4. कानून–व्यवस्था
5. संगठित अपराध
6. अतिवादी गतिविधियां

    अ– आतंकवादी गतिविधियां
    ब– विदेशी आतंकवादियों व्दारा घुसपैठ
    स– उग्रवाद

7. सामाजिक बुराईयां

    अ– पारिवारिक अत्याचार
    ब– नशाखोरी
    स– जातिगत विवाद
    द– साम्प्रदायिक विवाद
    इ– छात्रों की समस्यायें
    ई– शारीरिक रूप से पीड़ित वर्गों जैसे– दृष्टिबाधित,मूकबधिर, आदि को सहयोग।
    क– अतिगरीब तथा बेसहारा बच्चों को परामर्श
    ख– वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर उनके अनुभव का लाभ प्राप्त करना

8. पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता

9. यातायात सुधार तथा प्रबन्धन संबंधी कार्य
10. मानव अधिकार संरक्षण
11. संकटकालीन परिस्थितियों हेतु तैयारी – मानव रचित एवं प्राकृतिक
12. अल्प विवाद निराकरण

अध्याय–3
वर्गीकरण

वर्गीकरण की निम्नलिखित आवश्यकताऐं हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप, पहल शक्ति एवं विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है :–

ए – सामुदायिक पुलिसिंग एवं प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण

बी – पुलिस सामुदायिक संबंध

सी – संकट राहत

डी – पीड़ितों की सहायता हेतु कार्यक्रम

अनुभाग–अ

सामुदायिक पुलिसिंग
एवं
प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण

1. <u>बीट पुलिसिंग</u>

मध्यप्रदेश में पुलिसिंग की बहुत प्रचलित एवं पुरानी प्रणाली है। इसके माध्यम से पुलिस कर्मी अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र (बीट) के अन्तर्गत गश्त करते हुए अपराध एवं अपराधियों के

संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं और नागरिकों को अपने कार्यों एवं दायित्वों का बोध कराकर सहयोग प्रदान करते हैं। देवास जिले में युनिट प्रणाली[1] प्रारम्भ की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पुलिस बीट्स वृहत है, आवश्यकता है कि इनमें बीट बाक्स रखें जायें जो कि बीट पुलिसिंग गतिविधियों के लिए केन्द्र बिन्दू रहे। यह बीट बाक्सेस पानी एवं बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु भी उपलब्ध रहेंगे। बीट अधिकारी के लिए आवश्यक होगा कि वे बीट बाक्स केन्द्र पर निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे और स्थानीय निवासियों की कोई शिकायतें करेंगें। दैनिक पंजी के रूप में एक रजिस्टर वहां रखा जायेगा जिसमें स्थानीय लोगों की शिकायतें/घटित होने वाली घटनायें,आदि पंजीबध्द की जायेगी। जहां तक हो सके बीट बाक्स निकटतम थानों से संचार माध्यमों से जुड़ा होना चाहिए। बीट में जहां पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति पदस्थ हैं वहां पर पुलिस मेलमिलाप केन्द्र स्थापित करना चाहिए जो 24 घन्टे खुला रहेगा।

सामुदायिक पुलिस में नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिसे सामुदायिक पुलिसिंग हेतु एक माडल बनाया जाए जहां एक ओर नगरसेना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे जिससे अपराध एवं अव्यवस्था को सुधारा जा सकता है, वहीं नीचे के स्तर तक इनके माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग का कियान्वयन किया जा सकता है।

2. <u>पारिवारिक परामर्श केन्द्र (वर्ष–1995)</u>

पारिवारिक विवादों के निराकरण हेतु स्थापित केन्द्रों में सामाजिक कार्यकर्ता, डाक्टर, वकील, आदि के साथ एक महिला पुलिस कर्मी शामिल की गई है। पुलिस कर्मी सामान्य प्रशासनिक दायित्व जैसे– रजिस्टर, आदि भरना, संबंधितों को नोटिस, आदि जारी करना, आवश्यकतानुसार परामर्शदात्रियों को उपलब्ध कराना, प्रकरणों का लेखा–जोखा रखकर निराकृत प्रकरणों में समयानुसार फलोअप का निर्वहन करती है। घरेलू विवादों का निराकरण परिवार परामर्श केन्द्र[2] के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में अधिकांश जिलों में पारिवारिक परामर्श केन्द कार्यरत है। इसी प्रकार के परामर्श केन्द्र भविष्य में सभी अनुभाग स्तर पर प्रारम्भ किए जायेंगे। आवश्यकतानुसार थाना स्तर पर भी इन्हें प्रारम्भ किए जाने पर विचार किया जायेगा।

3. <u>नगर रक्षा समिति (वर्ष–1996)</u>

नगर ग्राम एवं नगर रक्षा समिति विधेयक–1999दिए गए प्रावधानों के अनुसार लोगों को रखा जाता है जिनका कोई अपराधिक अभिलेख न हो तथा उनकी कोई ज्ञात राजनैतिक प्रतिबध्दता न हो। इन समितियों का उपयोग सामाजिक कार्यो के माध्यम से पुलिस एवं जनता के बीच एक सेतु के रूप में किया जाता है। यह समितियां निर्धारित क्षेत्र के स्थानीय पुलिस कर्मियों को उनके दैनिक कार्य जैसे–अपराध नियन्त्रण, संदिग्ध गतिविधियां, कानून व्यवस्था, आदि में सहयोग करने के साथ–साथ विशिष्ट परिस्थितियों में एक प्रभावी सहयोगी के रूप में उपस्थित रहनी चाहिए। इनका उपयोग पुलिस को सूचना प्रदान करने हेतु भी किया जा सकता है।[3]

---

[1] युनिट सिस्टम, देवास, 1996

[2] ikfjokfjd ijke'kZ dsUnz] bUnkSj] 1995

[3] uxj lqj{kk lfefr] 1996] bUnkSj] xzke ,oa uxj j{kk lfefr fo/ks;d 1999

4. **ग्राम रक्षा समिति**

इस का कार्य सामान्यतः वही होगा जो नगर रक्षा समिति[4] का होगा। ग्रामीण परिवेश में पुलिस की कम उपलब्धता इन समितियों के कार्य को अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। इन समितियों का कार्य व उनका निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।

5. **चलित पुलिस केन्द्र**

स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व, वन एवं पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित रूप से जनता के पास एक निश्चित समय, स्थान एवं तिथि पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही हल करते हैं। आवश्यक अभिलेख व संबंधित आवेदन इस चलित थाने का अंग है। इस कार्यवाही से भविष्य में होने वाले अपराध व कानून व्यवस्था की स्थितियों को रोका जा सकता है।

चलित थाने[5] के माध्यम से जनता के व्दार तक पहुंचकर मदद की जा सकती है।

6. **सामाजिक न्याय**

अ–सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र[6]

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करने, उनमें सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी देने एवं उनके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराने का कार्य थाने के माध्यम से किया जा रहा है। यह केन्द्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यरत है तथा कुछ जिलों में इन्हें स्वयं सेवी संस्था के रूप में पंजीकृत कर नियम, आदि बनाये गए हैं।

प्रदेश के समस्त कम्युनिटी पुलिसिंग के समस्त प्रयासों को एक ही संस्था ''आस्था'' के नाम से पंजीकृत कराया जायेगा जिसकी कार्यकारिणी एवं विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है।

इन केन्द्रों के माध्यम से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा रहे हैंः–

1. भूमि विवादों का निपटारा
2. शासन व्दारा आबन्टित कृषि भूमि पर खेती करने की सुविधा
3. ऋणग्रस्तता का समाधान, सूदखोरों व्दारा शोषण से मुक्त कराना
4. अनुसूचित/जनजाति के सदस्यों की समस्याओं का समाधान
5. लम्बित प्रकरणों की पहचान एवं सहायता करना
6. शासन व्दारा अनुसूचित/जनजाति के सदस्यों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना
7. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों में आत्मविश्वास जागृत करना
8. ऐसे अपराधिक प्रकरण जो पंजीबध्द किए जाने हो, पर ध्यान देना
9. ऐसी स्वयं सेवी संस्थायें जो अनुसूचित/जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही हो, की जानकारी देना।

ब– जन चेतना शिविर[7]

---

[4] xzke j{kk lfefr] xzke ,oa uxj j{kk lfefr fo/ks;d 1999

[5] pfyr iqfyl dsUnz] bUnkSj]1996

[6] l'kfDrdj.k dsUnz] lkxj] LFkkiuk&10ebZ 2002

[7] जन चेतना शिविर, सागर 19 अप्रैल 2002, 27 ग्राम

इन शिविरों के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना मजबूत कर उनकी व्यथाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें शासन की लाभकारी योजनाओं, कानूनी प्रावधानों एवं अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है।

अनुभाग–ब

पुलिस सामुदायिक संबंध

1. **साम्प्रदायिक विवादों का समाधान**

इस हेतु प्रदेश के जिलों में शान्ति समितियों का निर्धारण कर स्थापना की गई है जो आवश्यकतानुसार अपना योगदान विभिन्न स्तर पर देती है। इस प्रकार स्थापित समितियों को एक निश्चितस्वरूप, एवं निर्धारित कार्यप्रणाली प्रदान करने की आवश्यकता है।[8]

2. **बाल मित्र पुलिस (वर्ष 1996)**

बाल्य एवं किशोरावस्था के बच्चों को स्कूल प्रशासन के सहयोग से पुलिस थानों में लाकर उन्हें स्वच्छन्द रूप से थाने में घुमाया जाता है। इन बच्चों को थाने में उपस्थित अधिकारियों से बातचीत कर अपने जिज्ञासा शान्त करने का अवसर दिया जाता है। इससे बच्चों को यह समझाने में आसानी होती है कि पुलिस क्या क्यों, कैसे तथा कब करती है तथा इसका उद्देश्य क्या है। इस तरह से उनके दिमाग में पुलिस के क्रिया कलाप के प्रति जागरूकता पैदा होती है। इस प्रकार पुलिस संबंधी भ्रान्तियां मिटती है तथा साथ ही साथ कर्मी भी बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील होते है।[9] बाल मित्र पुलिस प्रदेश के हर जिले में विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

3. **खेल एवं संस्कृति का विकास**

युवकों में खेल एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार कर उनकी उर्जा को विकास कार्यों में लगाया जाना जिससे वह अपराधिक, असामाजिक गतिविधियों में संलग्न न हो एवं नशा, आदि के आदी न हो, इस प्रकार अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। इस हेतु राज्य, रेंज एवं जिला स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक, चरित्र निर्माण तथा खेलकूद पहलों जैसे–युवा नेतृत्व शिविर, संगीत, कलात्मक कार्यक्रम, पहलों को नेहरू युवा केन्द्र, एन0सी0सी0, स्काउट एवं गाईड्स, सामाजिक संस्थाओं के समन्वय से स्थापित किया जायेगा।

4. **सामाजिक कल्याणकारी योजना**

पुलिस सामाजिक कल्याण योजना जैसे स्वास्थ्य, रक्तदान केम्प, नेत्र केम्प एवं एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने में संलग्न है ताकि समाज में स्वस्थ्य वातावरण का निर्माण हो।

5. **लघु विवाद निराकरण**

ग्राम चौपाल[10] एवं कम्युनिटी लायजन ग्रुप की स्थापना की आवश्यकता है। छोटे–छोटे विवाद इनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही निराकृत किए जा सकेंगे। इस प्रकार

---

8 शान्ति समितियों का गठन

9 बालमित्र पुलिस, इन्दौर, 1996

10 ग्राम चौपाल, सागर, वर्ष 2000

समस्यायें त्वरित रूप से निपटने से कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से एवं अपराधों को रोका जा सकता है। इस पहल को प्रदेश भर में थाना स्तर पर विकसित किया जायेगा।

6. **मूक बधिर एवं दृष्टिबाधित विधिक सहायता केन्द्र**[11] (वर्ष 2002)

मूक बधिर व्यक्तियों की शिकायतों के निराकरण हेतु प्रदेश में थाने में ही विधिक सहायता केन्द्र प्रारम्भ किया गया है जिनमें इनकी वाककला के विशेषज्ञ उपलब्ध है। इस प्रकार के केन्द्र अन्य स्थानों पर स्थापित किए जावेंगे।

अनुभाग–स
संकट एवं आपातकालीन सहायता

1. **घायलों की त्वरित चिकित्सा व्यवस्था**

दुर्घटनाओं में घायलों की पुलिस व्दारा चिकित्सा विभाग तथा स्थानीय निजी चिकित्सालयों के सामन्जस्य से सहायता की जाती है। यह एक महती योजना है जिससे एक व्यक्ति विशेष ही नहीं एक पूर्ण परिवार की सहायता कर उसके भविष्य को संवारने का प्रयास किया जाता है।

सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटना के तत्काल बाद ''गोल्डन अवर'' में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध नहीं होने के कारण घायलों की मृत्यु हो जाती है। इन्दौर एवं भोपाल में इस पहल के बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु की संख्या में वृध्दि को देखते हुए इस पहल को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जायेगा।

2. **गरीब एवं असहाय बच्चे**

पुलिस व्दारा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से इन बच्चों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि बच्चे असामाजिक तत्वों के हाथ का खिलौना न बन सके। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक बेसहारा बच्चों को चिंहित कर उनके पुनर्वास के संबंध में आवश्यक पहल विभिन्न सामाजिक सस्थाओं के सहयोग से करेंगे।

3. **नशा मुक्ति शिविर**[12]

नशे के आदी व्यक्तियों को नशा मुक्ति दिलाने एवं समाज में उनका स्थान सुनिश्चित करने की कार्यवाही करना। समाज में विशेषकर बच्चों एवं युवा वर्ग में नशावृत्ति की वृध्दि को देखते हुए सामाजिक संस्थाओं, डाक्टर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आदि की सहायता से नशे के आदी व्यक्तियों को चिंहत कर प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति शिविर चलाये जायेंगे। इन शिविरों से इलाज कराने के उपरान्त निकलने वाले व्यक्ति पुनः नशे के आदी नहीं हो सके इस हेतु फालोअप की व्यवस्था भी की जायेगी।

4. **दृष्टिबाधितों के विकास में पुलिस का योगदान**[13]

दृष्टिबाधितों के सर्वांगीण विकास में योगदान देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा सकते हैं जिनमें राईटरर्स बैंक, टाकिंग बुक, परीक्षाओं में विधिसम्मत सहयोग तथा समाज में उन्हें स्थापित करने का प्रयास शामिल है।

---

[11] इन्दौर– 2002

[12] नशा मुक्ति केन्द्र, इन्दौर, 1995

[13] दृष्टि बाधितों के विकास में योगदान, इन्दौर, 1995

5. **संकटकालीन एवं विनाशकारी प्रबन्ध योजना**

पुलिस नियन्त्रण कक्ष में आपातकालीन सेवा चालू की जानी चाहिए जिससे आपातकाल जैसे अग्नि, बाढ़, महाकारी, भूकम्प तथा अन्य मानव निर्मित विनाशकारी परिस्थितियों से निपटा जा सके। इस तरह के नियन्त्रण कक्ष अनुभाग स्तर पर खोले जायेंगे। विभिन्न आपात स्थितियों के विशेषज्ञों को पूर्व से ही चिहिंत कर उनसे समन्वय रखा जायेगा ताकि आपातकालीन स्थिति में उनको लिया जा सके। इसके लिए अतिरिक्त आपदा प्रबन्ध समिति योजनायें अनुभाग स्तर तक तैयार कर रखी जायेगी। इन नियन्त्रण कक्षों में आपात स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक संसाधन एवं सुचार सुविधायें जैसे–कम्प्युटर, एम्बूलेन्स, क्रेन, लाईफ डिटेक्टर, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, आदि उपलब्ध कराई जायेंगी।

6 **अत्यावश्यक सेवायें एवं प्राथमिक आवश्यकतायें**

क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पहल व प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे– पानी न आना, बिजली बन्द हो जाना, आग लगना, महामारी, आदि।

हेल्प लाईन

अ– **डायल 100**

सभी कन्ट्रोल रूम में अत्याधिक उपकरण लगाया जाना चाहिए ताकि 100 डायल करने वाली जनता से त्वरित संवाद हो सके।

ब– **चाईल्ड लाईन**[14]

इस योजना को चालू करने का उद्देश्य संकटग्रस्त बच्चों को सहायता प्रदान करना है। यह सहायता चिकित्सिय, सामाजिक, मानसिक तथा व्यक्तिगतस्वरूप की हो सकती है। यह कार्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध इस क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से समन्वय कर, किया जा सकता है। इस हेतु प्रत्येक कन्ट्रोल रूम पर निःशुल्क दूरभाष उपलब्ध कराया जायेगा।

स– **महिला हेल्प लाईन**:–

विभिन्न कारणों से महिलायें अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु पुलिस थाने एवं परिवार परामर्श केन्द्र जाने में संकोच अथवा असुविधा महसूस करती है। इस तरह की महिलायें तथा संकट के समय त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नियन्त्रण कक्ष में निःशुल्क दूरभाष उपलब्ध कराये जायेंगे जिसमें महिलायें अपनी शिकायते दर्ज करा सकेंगी।

द– **क्राईम स्टापर**:–

प्रत्येक जिला मुख्यालय में अपराध शाखा में एक निःशुल्क दूरभाष उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के घटित होने का अन्देशा होने, अपराध घटित होने की सम्भावना होने की सूचना देना हो तो वह पूर्व से प्रकाशित दूरभाष क्रमांक, जो पूरे प्रदेश के लिए एक ही रहेगा, पर कहीं से भी सूचना दे सकेगा। उक्त दूरभाष स्वमेव (आटोमेटिक) ही संबंधित जिले के अपराध शाखा की ओर स्थानान्तरित (डायवड) कर दिया जायेगा ताकि वहां उपलब्ध अधिकारी व्दारा इस शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करवाई जा सकेगी। इस तरह शिकायतकर्ता की गोपनीयता भी रखी जा सकेगी और उसकी शिकायत अविलम्ब दर्ज कर कार्यवाही की जा सकेगी। इस पध्दति से शिकायतकर्ता को कोई परेशानी भी नहीं हो सकेगी।

---

14 pkbZYM ykbZu] bUnkSj] 2001

पार्ट–डी
अपराध पीड़ितों की सहायता

अपराध पीड़ित नागरिकों को विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों को सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाती है। इस तरह का काम अभी तक इस राज्य में कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए इस पहल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संकल्प नामक संस्था का गठन किया गया है, जो पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक एवं कानूनी सहायता प्रदान करेगी। इस संस्था का मुख्यालय भोपाल में है तथा इसकी प्रत्येक जिले में शाखा खोली जायेगी। नोडल आफीसर को जनरल सेक्रेटरी एवं जिले में पुलिस अधीक्षक को सदस्य सचिव बनाया गया है।

अध्याय–4
मानव संसाधन विकास

लक्ष्य

लक्ष्य निम्न संगठकों से पूर्ण होगा–

1. पुलिस कर्मी
2. नागरिक तथा स्वयं सेवी संस्थायें

प्रशिक्षण

सामुदायिक पुलिसिंग के विभिन्न पहलों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को जानने के लिए टी0एन0ए0 करवाया जायेगा। इसके पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम बना जायेगा जो प्रशिक्षणार्थियों की मदद से चलाया जायेगा। पुलिस में बुनियादी प्रशिक्षण के समय सामुदायिक विषय पर भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रशिक्षणार्थियों में संवेदनशीलता तथा जागरूकता बढाना है। पर्यवेक्षण अधिकारी जिला एवं सब डिवीजन स्तर पर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण निम्नलिखित को शामिल करेगा :–

1. समस्त पुलिस अधिकारी
2. नागरिकों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रशिक्षणार्थियों का चयन
3. संस्थागत प्रशिक्षण
4. प्रायोगिक प्रशिक्षण
5. पर्यवेक्षण तथा समयानुरूप मार्गदर्शन
6. मूल्यांकन

अध्याय –5
प्रचार प्रसार

सामुदायिक पुलिसिंग के उद्देश्य को उस समय तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक जनता को पुलिस व्दारा समय–समय पर उनके अधिकारों एवं अन्य जानकारी से अवगत कराने के साथ–साथ जागृत नहीं किया जाता। यह कार्यवाही जहां एक ओर नागरिकों को उनके विधिसम्मत अधिकारों तथा दायित्वों से अवगत कराने की आवश्यकता प्रतिपादित करती है वहीं पुलिस कार्य के कठिनाइयों, कार्यप्रणाली तथा प्रक्रिया से भी अवगत कराने का लक्ष्य लिए होना चाहिए। इस कार्यवाही को करने हेतु सबसे आसान तरीका यह होगा कि पुलिस थाना/चौकी स्तर से उपर कार्यालय में बोर्ड लगाकर नागरिकों को उल्लेखित समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

आम जनता को अवगत कराने एवं जानकारी देने हेतु प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों जैसे– पर्चे, बुकलेट्स, पम्पलेट्स, वीडियो फिल्में, स्थानीय टीवी चेनल पर रनर्स एवं मीटिंग, आदि से भी आम जनता को कानूनी ज्ञान, विधिसम्मत अधिकारों एवं दायित्वों से अवगत कराया जा सकता है।

अपराध घटित होने पर भी प्रचार–प्रसार के माध्यमों से नागरिकों को विधि संबंधी जानकारी देकर उनमें जागृति पैदा करने का प्रयास किया जा सकता है। नागरिकों व्दारा इस दिशा में की गई अच्छी कार्यवाही अथवा योगदान को भी इस माध्यम से अन्य नागरिकों तक, प्रोत्साहन के उद्देश्य से, पहुंचाया जा सकता है।

इस प्रकार प्रचार प्रसार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

अध्याय–6
विधि एवं प्रक्रिया

पुलिस सामुदायिक संबंधों के कार्य संचालित करने हेतु विधि सम्मत कार्यवाही भी की जानी होगी। इस कार्यवाही का उद्देश्य इस क्षेत्र में कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों एवं नागरिकों को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ आवश्यक संरक्षण प्रदान कर कार्यविधि को निर्धारित करना भी होगा। पुलिस सामुदायिक संबंधों की दिशा में प्रारम्भ की गई पहलों को एक निश्चित समयावधि तक चलाने व उसकी सफलता का आंकलन कर उसे समाज में प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जाना होगा।

उपरोक्त आर्हता की पूर्ति करने के पश्चात मध्यप्रदेश में वर्ष 1999 में ''नगर तथा ग्राम रक्षा समिति अधिनियम'' राज्य विधानसभा व्दारा पारित कर प्रभावशील किया गया है।

इसी प्रकार अन्य पहलों एवं उनकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए कानूनों को बनाने के साथ–साथ एक समग्र कानून सामुदायिक पुलिसिंग हेतु बनाने की भी आवश्यकता होगी।

अध्याय–7
प्रशासनिक रूपरेखा

प्रदेश के समस्त जिलों एवं थाना स्तर पर पुलिस सामुदायिक व्यवस्था लागू की जानी है। इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर समुचित प्रशासनिक व्यवस्था की जाना होगी। यह व्यवस्था राज्य, सम्भाग तथा जिला स्तर से होते हुए थाना स्तर तक स्थापित की जाना होगी। इसे निम्नानुसार स्थापित करने पर विचार किया जाना होगा :–

प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य स्तर

1.	पुलिस महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	नोडल आफीसर
3.	उप पुलिस महानिरीक्षक	अति0नोडल आफीसर
4.	अनुसचिवीय बल	

क्षेत्रीय व्यवस्था

(अ)

1.	पुलिस महानिरीक्षक/रेज उमनि	क्षेत्रीय समन्वयक
2.	पुलिस अधीक्षक	जिला संयोजक
3.	अनुविभागीय पुलिस अधिकारी	जिला आयोजक
4.	थाना प्रभारी	क्षेत्रीय आयोजक

(ब)

1.	उमनि–विसबल	क्षेत्रीय समन्वयक
2.	सेनानी	संयोजक
3.	सहायक सेनानी	आयोजक

उपरोक्त व्यवस्था को स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोग किया जाना होगा। इसमें अन्य अधिकारियों तथा नागरिकों का सहयोग भी प्राप्त किया जाना होगा।

अध्याय–8
वित्तीय व्यवस्था

सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक होगा कि प्रदेश सरकार कम्युनिटिंग पुलिसिंग के लिए राज्य स्तर पर पर्याप्त मात्रा में कोष की व्यवस्था करें ताकि सामुदायिक पुलिसिंग को एक कारगर स्वरूप मिल सके। आर्थिक सहायता निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त करने पर विचार किया जाना होगा :–

1. भारत सरकार व्दारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना
2. समाज कल्याण विभाग – केन्द्र तथा राज्य शासन की योजना
3. पुलिस बजट में प्रावधान करना
4. अनुदान
5. जागरूकता पैदा कर आम जनता से सहयोग
6. अर्न्तराष्ट्रीय संस्थायें

    अ) यू0एन0,
    ब) विश्व बैंक,
    स) आई0एम0एफ0,
    द) एडीबी, आदि

इस प्रकार राशि प्राप्त करने के उपरोक्त स्त्रोतों की आवश्यकताओं तथा आर्हताओं की हमें पूर्ति करना होगी।

अध्याय–9
सम्पोषण

किसी भी योजना को मात्र स्थापित करना पर्याप्त नहीं है। इसे लगातार चलाये रखने तथा उसकी गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार लाने का लक्ष्य भी रखना होगा। यह लक्ष्य ऐसी संस्था तथा उसके भागीदारों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें स्थाईत्व प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पुलिस सामुदायिक संबंधों हेतु स्थापित हमारी संस्था को, सम्पोषण की दृष्टि से, निम्नलिखित कार्यवाही करना आवश्यक होगाः–

1. संस्थाकरण
2. समुदाय में इस संस्था को स्वीकरोक्ति प्रदान करवाना
3. पुलिस अधिकारियों में इस प्रकार के कार्यों को मानसिक मान्यता प्रदान कराना

<u>स्व–सहायता समूह</u>

स्व सहायता समूह के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसप्रकार स्थापित स्व–सहायता समूह हमारी पहलों को नई दिशायें दे सकेंगे तथा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होकर स्थाईत्व प्राप्त करने में सहयोगी होंगे।

भागीदारी

भागीदारी सामुदायिक पुलिसिंग की मूल कुन्जी है। यह भागीदारी जहां एक ओर हम सामान्य नागरिकों के साथ स्थापित करेंगे वहीं हमें अन्य संस्थाओं से भी भागीदारी स्थापित करना होगी। निम्नलिखित माध्यमों से भागीदारी अर्जित कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जाने होंगेः–

1. स्वयं सेवी संस्था
2. महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रहे संगठन
3. व्यवसायिक संस्थायें
4. स्थानीय स्तर पर स्थापित क्लब– जैसे रोटरी क्लब, आदि
5. चिकित्सालय
6. विद्यालय
7. आवासीय कल्याण संस्थायें
8. पंचायत
9. ग्राम सभायें
10. नागरिक सुरक्षा संगठन

उपरोक्त संस्थाओं से भागीदारी अर्जित करने हेतु आवश्यकतानुसार शासन से प्रशासनिक तथा विधि सम्मत निर्देशों को भी प्रसारित कराया जाना होगा।

अध्याय–10
मूल्यांकन

आधुनिक युग में किसी भी कार्य को करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। इस कार्य की उपयेागिता, निहित उद्देश्यों की पूर्ति, समाज में अर्जित मान्यता, इसे मूर्तरूप दे रहे प्रतिभोगियों के दृष्टिकोण, आदि के उद्देश्य से मूल्यांकन किया जाना होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया का उद्देश्य संस्था को परिवर्तनों के अनुरूप ढालना, अच्छे बिन्दुओं का समावेश करना, समाज तथा प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए।

मूल्यांकन परिस्थितियों के अनुरूप उपलब्ध वैज्ञानिक मापदण्डों तथा आंकलन में विभिन्न उपकरणों का उपयेाग कर, किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया से प्राप्त हुए मूल्यांकन को भविष्य में कार्य करने हेतु आधारशिला के रूप में हमें स्वीकार करना होगा ।

यह मूल्यांकन शोध, सर्वेक्षण तथा अन्य मान्यता प्राप्त प्रकियाओं से कराया जा सकेगा। यह आवश्यक है कि कोई भी मूल्यांकन विभागीय संस्थाओं से न कराकर किसी स्वतन्त्र तथा समाज में मान्यता प्राप्त संस्था के माध्यम से कराया जाये।

अध्याय–11
समीक्षा, शोध एवं विकास

यह आवश्यक है कि सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़े कार्यों को पूर्ण प्रदेश में लागू किया जाये। इस लक्ष्य के लिए यह जरूरी है कि कार्यों की लगातार समीक्षा की जाए। इस समीक्षा के प्रतिवेदन में प्रस्तुत हुए बिन्दुओं को समाज का मत प्राप्त कर उसे अपने कार्यों में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाना होगी। इस प्रकार प्राप्त बिन्दुओं को स्थानीय कानून व्यवस्था, अपराध तथा संबंधित सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु उपयोग किया जा जायेगा। इस प्रकार एक लगातार प्रक्रिया के माध्यम से शोध करते हुए सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी एवं पुलिस रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, भोपाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में ट्रेनिंग डायरेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी पुलिसिंग पर शोध हेतु फेलोशीप प्रारम्भ किया जायेगा जिनका कार्यरत पुलिस अधिकारी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एवं शोधकर्ता, उपयोग कम्युनिटी पुलिसिंग के कार्य को बेहतर बनाने हेतु किया जायेगा।

अध्याय–12
भावी योजना

सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिकारियों व्दारा एवं समय–समय पर वरिष्ठ स्तरों से नीति बनाकर समस्याओं का निराकरण कराया गया है। वर्ष 2002 में औपचारिक रूप से पुलिस मुख्यालय में पुलिस कम्युनिटी विंग बनाकर इस कार्य कों गति प्रदान की गई है। परन्तु एक नीति के निर्धारण का अभाव रहा है। इस नीति से हम अपने इस महत्वपूर्ण कार्य को योजनाबध्द तरीके से संचालित कर एक निश्चित दिशा देकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात इस कार्य हेतु एक मेन्युअल तैयार किया जायेगा जो इस कार्य को गति देने में एवं एकरूपता प्रदान करने में सहायक होगी।

राज्य शासन व्दारा ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के कार्य हेतु कानून बनाया जा चुका है। यह आवश्यक है कि हम यह प्रयास करें कि हमारी सभी पहलों का हम पुर्नवलोकन कर उन्हें राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करे। इस प्रकार राज्य स्तर पर निर्धारित व संचालित पहलों को स्थापित करने के पश्चात प्रदेश में सामुदायिक पुलिसिंग हेतु एक समग्र कानून की बनाये जाने की कार्यवाही की जाये। इस प्रकार उपलब्ध कानून के माध्यम से विधिसम्मत कार्यवाही कर विसंगतियों को दूर करने में किया जा सकेगा।

प्रदेश में चल रही राज्य स्तरीय पहलों को ओर अधिक मजबूत करते हुए इनमें लगातार सुधार लाया जायेगा जो पहलें प्रायोगिक योजनाओं के रूप में चलाई जा रही है उन्हें प्रदेशस्तर पर लागू किया जायेगा तथा समाज की आवश्यकता के अनुरूप तथा अन्य जगहों पर कम्युनिटी पुलिसिंग कीदिशा में किए जा रहे नवीन प्रयोगों के आधार पर भविष्य में नई योजनायें भी लागू की जायेगी।

——